भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2547
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2021

पीएम-वाणी के अंतर्गत अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी

2547. श्रीमती गीता कोडा; श्री जुगल किशोर शर्मा; श्री विष्णु दत्त शर्मा; श्री दिलेश्वर कामैत:
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पबलिक वाईफाई एक्सेस प्वाइंट्स प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क (पीएम-वाणी) परियोजना के माध्यम से अंतिम छोर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के कार्यकरण, निगरानी और सतर्कता में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क): जी, हाँ। मंत्रिमंडल ने दिनांक 09/12/2020 को आयोजित अपनी बैठक में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्कों के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार जिसे प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (पीएम-वाणी) फ्रेमवर्क नाम दिया गया है, से संबन्धित विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वाणी फ्रेमवर्क के अनुसार यह परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक वाई-फाई अभिगम बिन्दुओं के नेटवर्क के माध्यम से अंतिम छोर की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इन वाई-फाई अभिगम बिन्दुओं की बैकहॉल आवश्यकता दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट बैंडविड्थ से पूरी की जानी है। संवितरित व्यवस्था और कार्यों को अलग करके इस वाणी इको-सिस्टम में निम्नलिखित कंपनियाँ शामिल हैं जिन्हें कोई लाइसेंस प्राप्त करने अथवा लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी:-

- **पबलिक डाटा ऑफिस (पी.डी.ओ):** वाणी के अनुरूप वाई-फाई अभिगम केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन करने तथा उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने के लिए।
- **पबलिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर (पी.डी.ओ.ए):** यह पी.डी.ओ का एग्रीगेटर है जो प्राधिकार और लेखा संबंधी कार्य करता है।
- **ऐप प्रदाता:** उपभोक्ताओं को पंजीकृत करने और आसपास के क्षेत्र में वाणी के अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट का पता लगाने तथा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए ऐप के भीतर उसे प्रदर्शित करने के लिए।
- **केंद्रीय रजिस्ट्री:** वाणी व्यवस्था और इसके विनिर्देशों के अनुसार ऐप प्रदाता, पी.डी.ओ.ए और पी.डी.ओ. का ब्यौरा रखने के लिए।

(ख) दिनांक 04.03.2021 की स्थिति के अनुसार देशभर में 33845 वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। झारखंड, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों में स्थापित एक्सेस प्वाइंट की संख्या क्रमश: 276, 781 तथा 1375 हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए विभाग के पास प्रत्येक लाइसेंसी क्षेत्र में दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन तथा निगरानी (टर्म) सेल मौजूद है।

******